यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु० नं० 1543/17 तारीख रुजू 8-11-17

उनवान - चनसी बनाम मल्ली D/o लहूरया बैरवा त्रिसूल

दावा बाबत घोषणा खातेदारी व तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 RT. Act

वादी की ओर से महेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट ने दावा बाबत घोषणा खातेदारी व तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 RT Act के तहत पेश किया। जमाबन्दी व शपथ पत्र का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड मय अतलबकर दिनांक 19.12.17 को पेश हो।

6/20-10
10-11-17

जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

19.12.17

वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी नं. 14 की ओर से श्री मदनमोहन शर्मा AdV. ने मीमो, प्रतिवादी नं. 30 की ओर से श्री रामभरोसी गुप्ता AdV. ने मीमो पेश किये। आगामी पेशी पर वकालतनामा व जवाब पेश करे। प्रतिवादी नं. 29 की ओर से श्री सुनील कुमार जिंदल AdV. ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12 के सम्मन विधिवत तामील हो चुके थे किन्तु इनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं थे अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी नं. 1, 13, 16, 17, 18, 19, 26 के सम्मन अदम तामील प्राप्त हुए हैं वादी वकील इनके सही पते पर रजि० AD सम्मन तलबाना पेश करे। शेष सम्मन प्राप्त नहीं। बइन्तजार तामील दि० 16.1.18 को पेश हो।

दलिबन 14

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडा

दिनांक	फर्द अहकाम
3.10.19	वकील उभयपक्ष उपस्थित। दर. 01 R. 10 पर बहस हेतु समय चाहा तथा प्रतिवादी नं. 13, 16, 17, 18, 19, 20 का सही पता ज्ञात कर तलवाना पेश करने के लिए 7 दिन का समय चाहा। सुनकर न्यायहित में अवसर दिया जाता है वास्ते तलवाना पेश करने दिनांक 11.10.19 को पेश हो।
11.10.19	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित नहीं हुए वकील प्रतिवादीगण उपस्थित। कई बार आवाज दिलवाई गई फिर भी वादी वकील एवं वादीगण में से कोई भी उपस्थित नही हुए वादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। वकील काउन्टर क्लेम कर्ता प्रतिवादी नं. 26 को हिदायत की जाती है कि प्रतिवादी नं. 13, 16, 17, 18, 19, 20 के सही व पूर्ण पते पर रजि० AD सम्मन तलवाना पेश करें। तथा दर. 01 R. 10 CPC पर बहस वास्ते समय चाहा। प्रतिवादी नं. 13, 16, 17, 18, 19, 20 की तलबी व दर. 01 R. 10 पर बहस हेतु दिनांक 30.10.19 को पेश हो।
30.10.19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी काउन्टर क्लेम कर्ता उपस्थित नहीं है। कई बार आवाज दिलवाई गई। फिर भी वकील प्रतिवादी काउन्टर क्लेम कर्ता उपस्थित नहीं है। प्रतिवादी नं. 14, 26 भी उपस्थित नहीं हुए। वादी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही पूर्व मे ही हो चुकी है अब वकील प्रतिवादी काउन्टर क्लेम कर्ता उपस्थित नहीं। अतः यह दावा वकील प्रतिवादी नं. 14, 26 काउन्टर क्लेम कर्ता एवं प्रतिवादी नं. 14, 26 के उपस्थित नहीं होने से यह दावा अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)